

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक:-प.31(2)गृह-9/2016

जयपुर, दिनांक 28 FEB 2017

**विज्ञप्ति**

मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा नीचे बताए गये ग्राम के वर्णित क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें 31 मार्च 2037 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विति हेतु भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल को स्माल आर्म्स फ्लेट ट्रेजेक्ट्री वेपेन्स फायरिंग रेंज (300 मीटर तक) अधिकृत किया जा सकता है।

**क्षेत्र का विवरण**

ग्राम-बेरा, पत्रालय-साहडोली, तहसील-रामगढ़ जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 35.84 हैक्टेयर किता रकबा 35.84 में से 15.6 हैक्टेयर।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चेतन देवड़ा)

शासन संयुक्त सचिव

गृह (आपदाप्रबंधन) विभाग

गृह (ग्रुप-6) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
हाथी नम्बर 675  
दिनांक 2/3/2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर।
2. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को अतिरिक्त 10 प्रतियों सहित किन्ही दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ, जो कि अलवर जिले में संबंधित क्षेत्र में प्रचलित हो, में प्रकाशित करवाते हुए तत्संबंधी बिल यदि कोई हो तो उनके भुगतान करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट अलवर के माध्यम से उप महानिरीक्षक सी0टी0सी0, भा0ती0सी0पु0 बल, जिला अलवर से पत्राचार करने की व्यवस्था करावें।
3. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र में असाधारण अंक दिनांक 28 FEB 2017 में प्रकाशित कर प्रति जिला मजिस्ट्रेट अलवर को तथा इस विभाग को अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने हेतु।
4. उपमहानिरीक्षक पुलिस, सी0टी0सी0, भा0ती0सी0पु0 बल, जिला अलवर।
5. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को गृह विभाग की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

गृह (आपदाप्रबंधन) विभाग